उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या 2037 / III(1) / 09–94(अधि०) / 06
देहरादून, दिनांक 22 अक्टूबर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1847 / III(1) / 09–94(अधि०) / 06, दिनांक 25 सितम्बर, 2009 जिसके द्वारा श्री सौरभ, उप महाप्रबन्धक (वित्त), दिल्ली मैट्रो रेल निगम लि० को मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि० के पद (वेतनमान रु० 18400–22400 प्रतिमाह) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने के आदेश निर्गत किये गए थे, को उनके प्रत्यावेदन दिनांक 03 अक्टूबर, 2009 पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्न अतिरिक्त प्रतिबन्धों सहित कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) (एक मुश्त वेतन रुपये 60,000.00 प्रतिमाह) के पद पर संविदा पर नियुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. निगम द्वारा नियमित चयन के समय उक्त तैनाती का लाभ दिए जाने हेतु श्री सौरभ द्वारा किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

2. श्री सौरभ को निगम द्वारा नियत मासिक एक मुश्त वेतन रुपये 60,000.00 प्रतिमाह एवं सामान्य यात्रा भत्ता (पदीय सामान्य अनुमन्यता श्रेणी अनुसार) के अतिरिक्त अन्य किसी भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होंगे, किन्तु शासकीय कर्तव्य–पालन के प्रदर्शन अनुरूप ही इनको 5% वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी।

3. श्री सौरभ को वर्ष में 14 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश अथवा अवकाश वेतन देय नहीं होगा।

4. श्री सौरभ द्वारा अपना सम्पूर्ण समय उन्हें प्रदत्त कार्यों के लिए सुलभ कराते हुए ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन किया जायेगा जो उन्हें समुनेदेशित किए जायेंगे। साथ ही, सरकारी सेवकों की आचरण नियमावली सहित समय–समय पर विहित नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

5. श्री सौरभ की तैनाती निम्नानुसार समाप्त की जा सकेगी :–

   (एक) शासन द्वारा एक कलैण्डर माह की लिखित सूचना देकर किसी भी समय यदि शासन की राय में सेवा के दौरान अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया गया हो।

   (दो) शासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यदि चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर शासन का समाधान हो जाता है कि वह अस्वस्थ हैं एवं अस्वस्थता के कारण अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए काफी समय तक अयोग्य रहने की सम्भावना है।

   (तीन) शासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यदि वह किसी प्राविधान अथवा किसी नियम की अवज्ञा या असंयम के दोषी पाये जाएं।

क्रमश पृष्ठ–2 पर...

(चार) इस अनुबन्ध के अधीन तैनाती के दौरान किसी भी समय इनके द्वरारा अथवा शासन द्वारा बिना कोई कारण बताए एक माह की लिखित सूचना देकर, परन्तु इस प्रकार के नोटिस के बदले शासन द्वारा इनको अथवा इनके द्वारा शासन को एक माह के नियत वेतन के समतुल्य राशि का संदाय किया जायेगा।

6. श्री सौरभ द्वारा तदर्थ/अस्थाई/नियमित चयन के लिए कोई मांग नहीं की जायेगी।

7. संविदा पर तैनाती के दौरान श्री सौरभ अथवा इनके परिवार के प्रति किसीं प्रकार की दुर्घटना होने पर शासन जिम्मेदार नहीं होगा।

8. श्री सौरभ को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न वार्षिक लक्ष्यों एवं अन्य दायित्वों के परिपेक्ष्य में स्वमूल्यांकन रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से शासन को विलम्बतम 30 अप्रैल तक उपलब्ध करानी होगी।

9. श्री सौरभ द्वारा अन्यत्र सेवायोजन हेतु आवेदन शासन के माध्यम/शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

10. श्री सौरभ शासकीय कार्यो के सम्पादन हेतु टेलीफोन, कम्प्यूटर जैसी सामान्य सुविधायें अनुमन्य करायी जायेगी।

11. अनुबन्ध अवधि के दौरान श्री सौरभ द्वारा तैयार/प्राप्त किये गये अभिलेख निगम की सम्पत्ति होंगे।

12. श्री सौरभ के द्वारा सभी कार्य उच्चस्तरीय व्यावसायिक मानक, नीति अनुरूप क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से सम्पादित किये जायेंगे।

13. श्री सौरभ की लापरवाही, असावधानी आदि कारणों से निगम को होने वाली हानि/क्षति के लिये वे जिम्मेदार होंगे। ऐसी हानि/क्षति के आंकलन का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा जो कि इनके ऊपर बाध्य होगा।

14. कोई भी विवाद देश के कानून से नियंत्रित होगा।

15. किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसके लिये इस कार्यालय ज्ञाप में कोई प्राविधान नहीं किये गये हैं, उनके संबंध में शासन का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 2037 / III(1)/09–94(अधि०)/06 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम, उत्तराखण्ड शासन।

क्रमश पृष्ठ–3 पर...

4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निमग लि०।
5. श्री सौरभ, उप महाप्रबन्धक, दिल्ली मैट्रो निगम लि० नई दिल्ली / 219 राष्ट्रपति भवन, कैबिनेट अफेयर्स सोसायटी, प्लॉट नं० 3, सैक्टर–10, द्वारिका, नई दिल्ली 110075 को अतिशीघ्र योगदान करने हेतु।
6. अधिशासी निदेशक (एच०आर०), दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि०, मैट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन बाराखंबा रोड़, नई दिल्ली 110001.
7. आयुक्त गढवाल / कुमॉयू, पौड़ी / नैनीताल।
8. मुख्य अभियन्ता स्तर– I, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त), उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।